



मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2014

विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक : **136**/परीक्षा/2014

दिनांक- 13/10/2014

आवेदन करने की अंतिम तिथि : -

17 नवंबर, 2014

ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि :-

14 दिसम्बर, 2014 (रविवार)

मुख्य परीक्षा की तिथि :-

बाद में अधिसूचित किया जावेगा।

सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर-सीधी भर्ती) के 100 रिक्त पदों हेतु MP Online वेबसाइट- www.mponline.gov.in के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश व विधि नीचे दी गई है। कृपया आवेदक आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। यह विज्ञापन, निर्देश सहित, MPOnline की वेबसाइट-www.mponline.gov.in व म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाइट-www.mphc.in पर भी उपलब्ध है।

पोर्टल-शुल्क सहित परीक्षा शुल्क -

परीक्षा-शुल्क अनारक्षित वर्ग तथा मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के निवासी सभी आवेदकों के लिए ₹ 1000 (एक हजार) तथा मध्यप्रदेश राज्य के निवासी केवल आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए ₹ 800 (आठ सौ) देय होगा जिसमें प्रत्येक आवेदन के लिए MPOnline को देय पोर्टल शुल्क ₹ 600 भी सम्मिलित होगा। यदि उक्त राशि से अधिक की मांग की जाती है तो एमपीऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

दूरभाष क्र. (0755) 4019400-10

खण्ड - "अ"

एक - रिक्त पद :

भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों से म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के अन्तर्गत रिक्त सिविल न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के अस्थायी पदों के लिये निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या को चयन प्रक्रिया के दौरान व अंतिम चयन सूची जारी होने तक, किसी भी स्तर पर कम या ज्यादा किया जा सकता है। पद श्रेणीवार निम्नानुसार है -

| | | | |
|-----|------------------|---|----|
| (अ) | अनारक्षित | — | 56 |
| (ब) | अन्य पिछड़ा वर्ग | — | 11 |
| (स) | अनुसूचित जाति | — | 08 |
| (द) | अनुसूचित जनजाति | — | 25 |

| | | |
|---------|---|-----|
| कुल योग | — | 100 |
|---------|---|-----|

उपरोक्त 100 पदों में से अस्थिबाधित विकलांग (Orthopaedically Handicapped) श्रेणी के आवेदकों के लिए 2 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे जिसका चयन विकलांगों की मेरिट क्रमानुसार किया जाएगा अर्थात् जिस वर्ग का विकलांग आवेदक मेरिट क्रम में चयनित होगा उसकी पूर्ति उसी वर्ग के लिए स्वीकृत रिक्त पदों में से की जाएगी (यानि आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा)।

दो —

- (1) म.प्र. राज्य के बाहर के अजा/अजजा/अपिव के आवेदक आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी 'अनारक्षित' भरें। अजा/अजजा/अपिव के लिए आरक्षित पद केवल म.प्र. के मूल निवासी अजा/अजजा/अपिव के लिए आरक्षित है।
- (2) केवल म.प्र. के मूल निवासी जो अजा/अजजा/अपिव के हैं, वे आवेदन पत्र में तदनुसार अपनी श्रेणी अंकित करें।
- (3) अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी का लाभ उन्हीं आवेदकों को प्राप्त होगा जो क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं आते हों।

तीन —

- (अ) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी।
- (ब) किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का सूचनापत्र देने पर सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।
- (स) चयनित आवेदक को अधिकृत मेडीकल बोर्ड से निर्धारित शुल्क अदा कर मेडीकल फिटनेस सर्टीफिकेट पेश करना होगा।

चार —

पदों की संख्या परिवर्तनीय रहेगी। अंतिम चयन के पूर्व किसी भी चरण में ऐसी रिक्तियाँ इस विज्ञापन के अन्तर्गत शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जाएँगी परन्तु ऐसे रिक्त पदों के लिये पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जाएँगे तथा इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदक ही पात्र रहेंगे।

पाँच —

पद का विवरण — सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर)

- (क) श्रेणी — राजपत्रित द्वितीय श्रेणी।
- (ख) वेतनमान— रू. 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 एवं प्रचलित दर अनुसार मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते।

छ: - आवश्यक अर्हता - कोई भी व्यक्ति सिविल न्यायाधीश वर्ग - 2 (प्रवेश स्तर सीधी भर्ती) के पद के लिए अर्ह तभी होगा जब कि वह-

- (1) भारत का नागरिक हो ।
- (2) आयु सीमा 1 जनवरी 2015 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किन्तु 35 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। अर्थात जन्म दिनांक 1 जनवरी 1994 के पूर्व तथा 31 दिसम्बर 1979 के बाद का हो ।

उच्चतम आयु सीमा में छूट -

- (अ) म.प्र. के मूल निवासी जो कि म.प्र. के लिये अधिसूचित अजा/अजजा/अपिव के हैं, उन्हें उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ऐसे आवेदकों के लिए उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी। अर्थात जन्म दिनांक 1 जनवरी 1994 के पूर्व तथा 31 दिसम्बर 1976 के बाद का हो ।
- (ब) म.प्र. शासन के समस्त श्रेणी के स्थायी या अस्थायी शासकीय कर्मचारियों (जिनमें महिला कर्मचारी भी शामिल हैं) के लिए उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी। अर्थात जन्म दिनांक 1 जनवरी 1994 के पूर्व तथा 31 दिसम्बर 1976 के बाद का हो ।

नोट 1- ऐसे सभी आवेदक जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में ही माना जावेगा और वे आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अनारक्षित ही भरें और उसी अनुसार परीक्षा शुल्क भी देय होगा और उन्हें अजा, अजजा एवं अपिव श्रेणी का कोई लाभ नहीं मिलेगा।

2- उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ आवेदक द्वारा तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा।

(स) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त कर ली हो और उसका अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका हो और उनके पास आवश्यक दस्तावेज उस दिन को मौजूद हों ।

(द) वह अच्छा चरित्र रखता हो तथा अच्छे स्वास्थ्य वाला हो तथा किसी भी ऐसे शारीरिक कमी वाला ना हो जो उसे ऐसी नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त करता हो ।

नोट 1- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पूरा करता है। अतः आवश्यक अर्हता प्राप्त आवेदक ही आवेदन करें। आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त किसी भी अर्हता को

विज्ञापित पद के लिये मान्य नहीं किया जायेगा। परीक्षा में प्रवेश देने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र, बिना पूर्व सूचना के, निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी तथा इस सम्बन्ध में आवेदन/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जावेंगे।

- 2:— यदि किसी अभ्यर्थी ने अपनी योग्यता, जन्मतिथि, अर्हता अथवा आरक्षण से सम्बन्धित या अन्य कोई जानकारी जो परीक्षा या चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन या आवेदन पत्र या दस्तावेज में चाही गयी है, से सम्बन्धित गलत जानकारी दिया है तो किसी भी समय उसे संज्ञान में आने पर तत्काल उसकी अभ्यर्थिता बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी और उसे परीक्षा के आगे के चरण में भाग लेने का अधिकार नहीं रहेगा।

सात – अनर्हताएँ –

निम्नलिखित मामलों में, उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा :-

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या
2. प्रतिरूपण (इम्पर्सोनेशन) किया हो या कराया हो, या
3. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
4. चयन के किसी भी स्तर पर परीक्षा हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में, असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या
5. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
6. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
7. परीक्षा संचालन में या साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचायी हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
8. आवेदकों को प्रवेश पत्र में दिये गये किन्हीं निर्देशों या अन्य अनुदेशों (पहचान चिन्ह अंकित करने से संबंधित अनुदेशों को छोड़कर), जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो,

